समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्पः- भोपाल (म0प्र0)

पुनरीक्षण क्रं. निग 4173अपी/14

नरेन्द्र प्रसाद, उम्र लगभग 55 वर्ष
पुत्र श्री रघुन्नदन प्रसाद चतुर्वेदी,
निवासी व कृषक ग्राम बिलकिसगंज,
तहसील एवं जिला सीहोर (म0प्र0) --- निगरानीकर्ता

विरूद्ध (134)

दिनेश कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष,
पुत्र श्री शिव प्रसाद चतुर्वेदी,
निवासीः- लेबर कालोनी, सीहोर (म0प्र0)
एवं कार्यालयीन पता :-
सहायक प्रबंधक (सोसायटी बिलकिसगंज)
सेवा सहकारी समिति बिलकिसगंज,
तहसील एवं जिला सीहोर (म0प्र0) --- उत्तरदाता

श्री एल०पी० विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा आज 1/12/14 को प्रस्तुत।

1/12/14
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग0 4173—तीन / 2014 जिला — सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—1—2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार सीहोर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 93 / अ—12 / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 30—6—14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 8—12—2014 को प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। अनावेदक दिनेश कुमार ने भूमि सर्वे कमांक 20 / 4 के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30—6—14 को सीमांकन अनुमोदित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों में स्वयं की भूमि का कोई ब्यौरा अथवा खसरों की प्रति पेश नहीं की है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह प्रश्नाधीन भूमि का सरहदी कास्तकार एवं हितबद्ध पक्षकार है। अतः आवेदक अभिभाषक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि वे किस प्रकार नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश से व्यथित हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामे में आवेदक नरेन्द्र प्रसाद की मौके पर उपस्थिति दर्ज है, जिसका विरोध आवेदक अभिभाषक ने	

अपने तर्कों में नहीं किया है। अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को उक्त सीमांकन की जानकारी नहीं थी। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–6–2014 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 8–12–14 को प्रस्तुत की गई है, जो समयावधि बाह्य है। आवेदक द्वारा धारा 5 के आवेदन में विलम्ब के आधार भी मान्य नहीं किये जा सकते कि उसे आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि आवेदक नरेन्द्र प्रसाद की उपस्थिति पंचनामे में है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी समयबाधित एवं आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य